

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

### कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 92 दिनांक 16/05/2019  
प्रार्थी श्रीमती सुवीरा कल्ला श्री किशोर राज कल्ला  
स्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 152 खसरा संख्या 174/73  
अनुच्छेद 144 (1) (अ) के तहत अस्थायी ईश्वर मठ योजना, ग्राम चौपासन  
कर स्वानुधारण राश रुपये 2350/- जमा है  
जरिये रसीद संख्या 1005/2335, 2376  
दिनांक 16/05/2019 को जमा रुपये 2350/- हैं।  
सुवीरा कल्ला  
प्राप्त्यकार  
नगर निगम, जोधपुर

Kishor Raj Kalla